

सं.अं.आ.०/शिमला/तक-११/S-82/12 कक/2009-10/29

कार्यालय
आयकर आयुक्त
शिमला, हि.प्र.।

दिनांक : 16.4.2009

सी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अधीन आदेश :

M/s Sakar Society for differently Abled Persons, Village Salah, Near Dental College Sundernagar, Mandi ने विहित प्रपत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है।

२. उपरोक्त ट्रस्ट के आवेदन पर विचार करने के बाद ट्रस्ट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए दिनांक 1.4.2008 से उपयुक्त पाया गया है, अतः उसी तिथि से धारा 12-कक(1)(ख) के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है।

३. संस्था को इस कार्यालय के पंजीकरण रजिस्टर के क्रमांक S-82 पर इन्द्रराज किया गया है। अतः ट्रस्ट को नि० वर्ष 2009-10 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत पंजीकरण के लाभ मिलेंगे।

हस्ता -
(अखिलेश रंजन)
आयकर आयुक्त,
शिमला, हि.प्र.।

प्रति प्रेषित है :

१. आवेदक संस्था को (पंजीकृत डाक से)।
२. आयकर अधिकारी, सुन्दरनगर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
३. आयकर अपर आयुक्त, मण्डी रेंज, मण्डी को सूचनार्थ।
४. आयकर मुख्य आयुक्त, हि.प्र. क्षेत्र, शिमला को सूचनार्थ।

दलजीत सिंह
(दलजीत सिंह)
आयकर अधिकारी, (तक०),
शिमला, हि. प्र.।

कार्यालय

आयकर आयुक्त,

रेलवे बोर्ड भवन, शिमला ।

दिनांक : 22.10.2012

मात्र में

मै० साकार सोसायटी फॉर डिफरेंट्सी एवल्स परांन,
नजदीक डेन्ट कातेज, सुन्दरनगर, जिला मण्डी ।

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ(5) के अधीन छूट।

कृपया अपने धारा 80छ(5)(vi) में approval हेतु दायर आवेदन का अवलोकन करें ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ(5) (1961 की 43) उक्त धारा में निहित सीमाओं एवं
अर्थात् के अधीन मै० साकार सोसायटी फॉर डिफरेंट्सी एवल्स परांन, नजदीक डेन्ट कातेज, सुन्दरनगर, जिला मण्डी को
दिया गया दान दानकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ (2)(a)(iv) के अन्तर्गत कर में छूट प्राप्त करने
योग्य होगा।

यह अनुमोदन धारा 80छ(5)(vi) के तहत दिनांक 9.4.2012 से वैध है ।

— ६१ —

(रमेश चन्द)

आयकर आयुक्त,

शिमला, हि.प्र.।

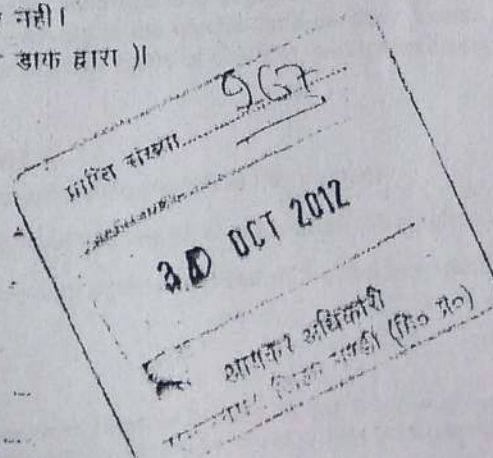
दि

१. दान व रिपोर्ट को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होनी चाहिए तथा यह भी
स्पष्ट होना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र उपरोक्त अवधि के लिए वैध है ।
संपरीक्षा रिपोर्ट, आय एवं व्यय व्यौरा, प्राप्ति एवं भुगतान व्यौरा और तुलन पत्र इत्यादि आयकर विवरणी समेत
प्रतिवर्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 में निहित अवधि के अन्दर आयकर अधिकारी, सुन्दरनगर
को भेजा जाए ।

यदि संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो इस कार्यालय को तुरन्त सूचित किया जाए ।

प्रतिनिधि प्रेषित है :

१. सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दिल्ली को सूचनाार्थ ।
२. आयकर मुख्य आयुक्त, हि. प्र. राज, शिमला को सूचनाार्थ ।
३. आयकर संयुक्त आयुक्त, मण्डी राज, मण्डी ।
४. आयकर अधिकारी, सुन्दरनगर को । वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि
आवेदक/निर्धारिती धारा 80 छ में दी गई शर्तों एवं बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को
पालन कर रहा है या नहीं ।
५. आवेदक को (पंजीकृत डाक द्वारा) ।



(एन०डी०मोयल)

आयकर अधिकारी, मुख्या०(तकनी.),
शिमला ।